देश के लिए... अव्यवस्था के खिलाफ...

जवाब दो!!! सरकार
www.jawabdosarkar.com
देश का पहला जवाबदेही पोर्टल

JAWAB DO SARKAR
www.jawabdosarkar.com
(A Digital Media Initiative to promote Accountability)

वॉल्यूम न.– 2021/kdgl/05 | E-Newsletter, Issued in Public Interest | रविवार, 5 दिसम्बर 2021

मिराज की धार्मिक उदारता का अर्धसत्य आया सामने!!!

देश के विकास मे काम आने वाले जीएसटी टैक्स की कर रहा राजनैतिक सरपरस्ती मे चोरी!!!

काला धंधा गौरे लोग!!!!

मिराज ग्रुप पर 869 करोड़ और 163 करोड़ के दो जीएसटी चोरी के मामले!!!

869 करोड़ के जीएसटी चोरी के मामले मे मिराज ग्रुप का एक डाइरेक्टर कई दिनो से गिरफ्तार!!!
लेकिन कंपनी के कर्ता-धर्ता पकड़ से दूर!!!

मिराज ग्रुप के फ़ाउन्डर मदन पालीवाल और ग्रुप के सीएमडी प्रकाश चंद पुरोहित को 4-4 सम्मन जारी होने के बावजूद नहीं हो रहे प्रस्तुत!!!

विशेष रिपोर्ट-1

शिकायतकर्ता का दावा!!
दोनों कर्ता-धर्ताओ को गिरफ्तारी से बचाने के लिए 100 करोड़ की रिश्वत दी जा रही एक राजनेता द्वारा इस मामले मे!!!

*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रकाशन एवं समस्त प्रकाशन IT Act 2000 के तहत उत्तरदायी सर्वाधिकार@www.jawabdosarkar.com

क्या है मिराज ग्रुप द्वारा की गयी 869 करोड़ की जीएसटी चोरी का मामला?

वस्तु एवं सेवाकर आसूचना महानिदेशालय,जयपुर को एक सूचना मिली कि मैसर्स मोंटेज पैकेजिंग सेल्स प्रा.लि द्वारा मैसर्स मिराज प्रोडक्ट्स प्रा.लि. नाथद्वारा को बिना बिल के पैकेजिंग मेटेरियल की सप्लाई की जाती है और इसके लिए मैसर्स मोंटेज पैकेजिंग सेल्स प्रा.लि.,उसी रूट की कोई भी फर्जी फर्म(मैसर्स मोंटेज पैकेजिंग सेल्स प्रा.लि., ने अहमदाबाद और सूरत मे कुछ फर्जी फर्म खोल रखी थी)के नाम से बिल काट देता है और माल मिराज को सप्लाई कर देता है,ताकि वह रास्ते मे माल ट्रांसपोर्ट के दौरान जीएसटी विभाग से बच सके|

कर चोरी की इस सूचना पर विभाग द्वारा उक्त दोनों कंपनियों के खिलाफ जांच शुरू की और दिनांक 22/10/2021 को उक्त दोनों कंपनियों के तथा ट्रांसपोर्टरों के यहा एक साथ तलाशी कार्यवाही की|तलाशी के दौरान दिनांक 22-24 अक्टूबर को मैसर्स मिराज प्रोडक्ट्स प्रा.लि. नाथद्वारा जे यहा छापा मारा गया तो बिना बिल के पेकिंग मेटेरियल(जिसमे मिराज ब्रांड तंबाकू के पेकिंग रेपर थे)से भरा हुआ एक ट्रक पकड़ा और उसमे रखे माल को जब्त किया गया,जिसके साथ मैसर्स श्री बालाजी इंटरप्राईजेज़,अहमदाबाद का बिल लगा हुआ था,किन्तु यह माल अहमदाबाद ना जाकर नाथद्वारा मे ही मैसर्स मिराज प्रोडक्ट्स प्रा.लि. नाथद्वारा की फैक्ट्री 22/10/2021 को खाली हो रहा था|तलाशी के दौरान इसी प्रकार पूर्व मे किए गए माल ट्रांसपोर्ट से संबन्धित दस्तावेज़ मिले|इस ट्रक पर जो मेटेरियल आया उस पर 504 करोड़ का टेक्स बनता है|इसके अलावा तलाशी के दौरान श्री विनय कान्त आमेटा के दिशा-निर्देश पर काम करने वाले एक कर्मचारी के मोबाइल मे अक्टूबर महीने मे जो पेकिंग मेटेरियल मैसर्स मिराज प्रोडक्ट्स प्रा.लि. नाथद्वारा को बिना बिल प्राप्त होने के सबूत मिले उस पर 34.57 करोड़ का टेक्स बनता है|इस प्रकार कंपनी द्वारा अक्टूबर 2019 से अब तक मैसर्स मोंटेज से बिना बिल के लगभग 77.10 करोड़ का पैकिंग मेटेरियल खरीद कर इसका उपयोग कर कुल 245.19 करोड़ ट्रांजेक्शन मूल्य का मिराज ब्रांड निर्मित तंबाकू बिना बिल के मार्केट मे सप्लाई कर 869 करोड़ की इनपुट टेक्स क्रेडिट गलत रूप से प्राप्त की|

वस्तु एवं सेवाकर आसूचना महानिदेशालय,जयपुर द्वारा इस मामले मे मैसर्स मिराज प्रोडक्ट्स प्रा.लि. नाथद्वारा के डाइरेक्टर श्री विनयकान्त आमेटा और मैसर्स मोंटेज पैकेजिंग सेल्स प्रा.लि. के डाइरेक्टर श्री धनंजय सिंह को किया गिरफ्तार|मुख्य आरोपी कानून की गिरफ्त से दूर

इस पूरे मामले मे वस्तु एवं सेवाकर आसूचना महानिदेशालय,जयपुर द्वारा मैसर्स मिराज प्रोडक्ट्स प्रा.लि. नाथद्वारा के डाइरेक्टर श्री विनयकान्त आमेटा और मैसर्स मोंटेज पैकेजिंग सेल्स प्रा.लि. के डाइरेक्टर श्री धनंजय सिंह को गिरफ्तार किया गया है जो लगातार अपनी बेल की कोशीशे कर रहे है लेकिन अधिकारियों की सजगता के चलते अभी तक कामयाब नहीं हो पाये है|इस मामले मे अभियुक्त श्री आमेटा की बेल के लिए पैरवी करते हुए विनयकान्त आमेटा के वकील ने स्वीकार किया है कि श्री आमेटा केवल कंपनी के एक कर्मचारी है जो कि डाइरेक्टर के पद पर रहते हुए मासिक वेतन प्राप्त कर रहे है|उनका कंपनी के लाभ मे कोई हिस्सा नहीं है|

यदि वकील साहब की इस बात को मान लिया जाए तो उनकी दलीलों से सिद्ध होता है कि इस पूरे खेल मे श्री आमेटा तो मात्र एक मोहरे है इनको चलाने वाले मुख्य कर्ता धर्ता मिराज ग्रुप के फ़ाउन्डर मदन पालीवाल और ग्रुप के सीएमडी प्रकाश चंद पुरोहित अभी भी कानून की पकड़ से दूर है|जबकि सीजीएसटी द्वारा दोनों को 4 सम्मन जारी किए जा चुके है उसके बावजूद दोनों विभाग के सामने हाजिर नहीं हो रहे है|

कोर्ट ने याचिका की खारिज:जीएसटी चोरी के आरोपी निदेशक को जमानत से इंकार

जयपुर मेट्रो-द्वितीय की एडीजे कोर्ट-5 ने मिराज ग्रुप से जुड़े 869 करोड रुपए की जीएसटी चोरी मामले में मोंटेग पैकेजिंग के निदेशक धनंजय सिंह को जमानत देने से इंकार करते हुए उसकी अर्जी खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि आरोपी कर चोरी करने में मिलीभगत करने का आरोप है, ऐसे में उसे जमानत नहीं दे सकते। इससे पहले आर्थिक अपराध मामलों की विशेष कोर्ट ने भी आरोपी की अर्जी खारिज कर दी थी।

आरोपी ने जमानत अर्जी में कहा कि उसे केस में झूठा फंसाया है और उसकी फर्म ने एक अन्य फर्म को पैकिंग मेटेरियल बेचा था। इसका जीएसटी भी जमा करा दिया था। ऐसे में यदि दूसरी फर्म कोई कर की चोरी करती है तो यह उसकी जवाबदेही नहीं है। मामले में उससे कोई पूछताछ बाकी नहीं है और विभाग ने उसके खिलाफ केवल संदेह के आधार पर ही केस दर्ज किया है। इसलिए उसे जमानत दी जाए।

इसके विरोध में विभाग ने कहा कि आरोपी करोड़ों रुपए की कर चोरी की मिलीभगत में शामिल रहा है लिहाजा उसकी जमानत अर्जी खारिज की जाए। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनकर आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। दरअसल डीजीजीआई ने 24 अक्टूबर को मिराज प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक विनय कांत आमेटा व मोंटेग पैकेजिंग सेल्स प्राइवेट लिमिटेड, नोएडा के निदेशक धनंजय सिंह को गिरफ्तार किया था। मामले में दोनों आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं।

Dr Raghu Sharma being welcomed by Gujarat unit president Amit Chavda, Surat city president Naisadh Desai at Surat airport.

command,' he said. —PTI

MIRAJ'S 'MIRAGE' EXPOSED! 28/10/17

WHISTLEBLOWER APPEALS GST TO DELVE DEEPER TILL THE 'ULTIMATE BENEFICIARY'!

DC Jain

Jaipur: The DGGI action against Miraj Group - for GST Tax evasion of a whopping Rs 869 crore - seems to be the start of a 'tumbling', as there are still major questions that remain unanswered. While the DGGI has arrested two men - identified as Vinaykant Ameta and Dhananjay Singh - and the duo have been sent to judicial custody till November 2, sources say there are still 'bigger fish' in the 'puddle' that need be looked out for.

Interestingly, after their arrest, a bail application was moved in the special court for economic offences however the same was rejected by Judge Manoj Nimodiya. Representing the DGGI, advocate BL Takhar had stressed in the court that the duo are accused of a GST theft of serious nature which the court also upheld.

It is this move that, according to sources, is being seen as 'tightening the noose' around the main individuals behind the group, since the arrested duo are merely administrative workers and do not own the company or have any stake in it, which is owned by Madan Paliwal.

Interestingly, the Miraj Group has undertaken a herculean construction project at Nathdwara wherein a 351 feet tall statue of Lord Shiva is being constructed at a cost of whopping 300 crore rupees. Now that the GST theft has been unearthed, the whistleblower in the matter - advocate SK Singh - has questioned if the pious work of construction of Shiva's statue has been funded by the 'black money' amassed from tobacco sale?

"Is this black money also used in other works of public interest and projects in Nathdwara. Who is the ultimate beneficiary in matter?

GST should delve deeper till the real individuals behind this evasion," SK Singh said on Wednesday.

MIRAJ GROUP

फ़र्स्ट इंडिया न्यूज़,राजस्थान पत्रिका और दैनिक भास्कर समाचार पत्रों मे प्रकाशित खबरों से साभार

औचक निरीक्षण किया, इनमें से दो

मिराज प्रॉडक्ट्स के निदेशक की जमानत अर्जी खारिज

जयपुर | जयपुर मेट्रो-द्वितीय की एडीजे कोर्ट-4 ने 869 करोड रुपए की जीएसटी चोरी से जुड़े मामले में 24 अक्टूबर को गिरफ्तार किए मिराज प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक विनय कांत आमेटा की जमानत अपील शनिवार को खारिज कर दी। कोर्ट की जज गीता चौधरी ने कहा कि मामला गंभीर है और आरोपी पर कर चोरी का आरोप है।

MIRAJ GROUP ₹ 869 CRORE GST TAX EVASION CASE

State government to file reply in High Court on group director's bail plea

Next hearing to be held after 2 weeks

First India Bureau

Jaipur: In the 869 crore rupee GST Tax evasion case against Miraj Group, the bail application of one of the arrested accused in the matter - Vinaykant Ameta, the Director of Miraj Group, was heard in the Rajasthan High Court in the court of Justice Narendra Singh Dhadda.

Now, the state government will present its reply in the matter.

Advocate Vivekraj Singh Bajwa represented the accused while as the whistle blower complainant advocate SK Singh was also present in the court to object against the bail.

However, Singh's presence in the court was objected to by advocate Bajwa and now hearing on the matter will be held after two weeks.

MIRAJ GROUP

डीजीजीआइ : पार्टनर समेत 4 दिन से है न्यायिक हिरासत में 30/10/17

मिराज ग्रुप निदेशक की जमानत पर फैसला सुरक्षित

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

जयपुर. मिराज ग्रुप के निदेशक विनयकांत आमेटा की जमानत याचिका पर शुक्रवार को जयपुर महानगर द्वितीय की एडीजे कोर्ट में सुनवाई हुई।

कोर्ट ने जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। इससे पहले विशेष कोर्ट (आर्थिक अपराध) विनयकांत की जमानत याचिका खारिज कर चुका है। तंबाकू, पाइप्स, सिनेमा, एफएमसीजी, रियल एस्टेट सहित विभिन्न सेक्टर में सक्रिय मिराज समूह पर जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय (डीजीजीआइ) ने टैक्स चोरी को लेकर परिवाद दायर किया था। उसके बाद विनयकांत की एक पार्टनर सहित चार दिन पहले गिरफ्तारी हुई थी।

870 करोड़ की टैक्स चोरी

नाथद्वारा के इस तंबाकू व अन्य सेक्टर में सक्रिय व्यावसायिक ग्रुप पर 870 करोड़ की टैक्स चोरी की अनियमितता होने का मामला दर्ज हुआ है। डीजीजीआइ ने 22 अक्टूबर को उद्यमी के घर, दफ्तर और फैक्ट्री में तीन दिन छानबीन की। टीम के 15-20 अफसरों ने समूह की व्यावसायिक गतिविधियां, लेनदेन और टैक्स संबंधी हिसाब का मिलान किया। मिराज ग्रुप के निदेशक विनयकांत और नोएडा स्थित पैकिंग फर्म के मालिक धनंजय को गिरफ्तार किया है।

अधिकारियों ने बनाई दूरी

समूह पर छापामारी से जुड़ी जानकारी देने में डीजीजीआइ अधिकारी कन्नी काट रहे हैं। हालांकि इतने बड़े ग्रुप की कर चोरी में लिप्तता की चर्चा पूरे प्रदेश में है। शुक्रवार को मिराज ग्रुप के कई प्रमोटर और कंपनी के उच्च अधिकारी डीजीजीआइ के ऑफिस भी पहुंचे, लेकिन उन्होंने भी कोई जवाब नहीं दिया। समूह के नाथद्वारा, हरिद्वार, अहमदाबाद, जयपुर, राजसमंद ठिकानों पर एक्शन चर्चा का विषय बना हुआ है।

बरसों से रडार पर

महज 2 दशक में राजस्थान के सबसे बड़े कारोबारी समूह में शामिल होने वाले मिराज ग्रुप पर केंद्रीय आसूचना एजेंसियों की नजर है। समूह पर डीजीजीआइ पहले भी छापामारी कर चुका है। मुख्य रूप से तंबाकू उत्पाद निर्माण में सक्रिय समूह के उत्पादन, मांग, आपूर्ति और स्टॉक में गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं।

अनीता राठौड़, क्षेत्रवासी

निदेशक की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित

जीएसटी चोरी प्रकरण

जयपुर @ पत्रिका. राजस्थान हाईकोर्ट ने जीएसटी चोरी के मामले में मिराज प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक विनयकांत आमेटा की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। करीबन 869 करोड़ रुपए जीएसटी चोरी के मामले में आमेटा को सीबीडीटी ने बीते दिनों गिरफ्तार किया था। आमेटा ने जमानत याचिका दायर कर कहा कि विभाग ने फैक्ट्री में उत्पाद के खाली पडे रैपर के आधार पर जीएसटी की गणना कर 869 करोड़ रुपए की कर चोरी बताई है, जबकि कर की गणना उत्पाद के बिक्री होने के बाद की जानी चाहिए। वे कंपनी में वेतनभोगी कर्मचारी है। उसे जमानत पर रिहा किया जाए। जिसका विरोध करते हुए डीजीजीआई की ओर से अधिवक्ता किंशुक जैन ने कहा कि विभाग ने आरोपी को कर चोरी करते पकड़ा है। इसके अलावा मौजूद साक्ष्यों से भी साबित है कि मामले में करोड़ों रुपए की जीएसटी चोरी की गई है। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने आरोपी की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। गौरतलब है कि कर चोरी के मामले में डीजीजीआई ने गत 24 अक्टूबर को आरोपी को गिरफ्तार किया था।

Miraj Group GST evasion: Bail hearing today

First India Bureau

Jaipur: In the case related to GST evasion of Rs 869 crore by Miraj Group, the hearing on Dhananjay Singh's bail could not be held on Friday and the application will be heard on Saturday. The hearing was postponed due to case diary being held in ADJ court.

Meanwhile, the bail plea of second accused Vinayakant Ameta was heard by Judge Geeta Chaudhary who reserved the verdict till Saturday. The Economic Offences Court has sent both of them to judicial custody till November 2. Both the accused are directors of companies associated with Miraj Tobacco Group and DGGI had arrested both of them on October 24. The Miraj group is owned by Madan Paliwal and Prakash Chand Purohit.

मिराज ग्रुप के निदेशक की जमानत खारिज

जयपुर@पत्रिका. मिराज ग्रुप के निदेशक विनयकांत आमेटा की जमानत याचिका जयपुर महानगर द्वितीय की एडीजे कोर्ट ने खारिज कर दी। इससे पूर्व पहले विशेष कोर्ट आर्थिक अपराध भी विनयकांत की जमानत याचिका खारिज कर चुका है। जीएसटी इंटेलीजेंस महानिदेशालय (डीजीजीआइ) ने जीएसटी चोरी मामले में एक सप्ताह पहले मिराज ग्रुप पर कार्रवाई कर कंपनी के दो निदेशकों को गिरफ्तार किया था। मिराज समूह पर 870 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी को लेकर परिवाद दायर किया गया। पिछले दो सालों से यह समूह केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय, डीजीजीआइ के रडार पर है। सूत्रों का कहना है कि कोविड के दौरान समूह के विस्तार ने इन एजेंसियों का ध्यान आकर्षित किया था। खासतौर से ग्रुप के एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री किए गए निवेश संदिग्ध बताए जा रहे हैं।

MIRAJ GROUP ₹869 CRORE GST EVASION CASE

HC to pronounce verdict on dir Ameta's bail plea on Monday

CGST informs court that 4 summons have been issued to Miraj Group owner Madan Paliwal and Prakashchand Purohit, but both are yet to appear before CGST

First India Bureau

Jaipur: In the case of GST evasion of about Rs 869 crore by Miraj group, the bail plea of Vinay Kant Ameta, director of Miraj Products, was heard in the Court of Justice Narendra Singh Dhadda in the Rajasthan High Court on Friday and after hearing the arguments, the Court reserved its decision.

Accused Vinayakant Ameta, who is in judicial custody in the case since October 24, has said in the bail plea that the department has calculated the GST on the basis of the empty wrapper of the product in the factory and reported tax evasion of Rs 869 crore, whereas the tax should have been calculated after the product is sold. It was further contested that the petitioner is a salaried employee in the company was not going to get any benefit from tax evasion. He said in the plea that he is ready to accept all the conditions of the court, and therefore the benefit of bail should be given to him.

Opposing the petition, the DGGI said that he has been caught on the charge of tax evasion. Existing evidence also proves that GST evasion of crores of rupees has been done and since investigation is ongoing, if the accused is provided bail, the evidences could be tampered with and hence bail should not be given.

Advocate Tinsukh Jain argued on behalf of CGST saying, "Summons have been issued to Miraj Group owner Madan Paliwal & Prakashchand Purohit. Summons have been issued by CGST to both four times but they have n't yet appeared before CGST." Notably, whistle blower in case advocate SK Singh had also presented an application to be heard but court denied permitting the same. Verdict on the matter will be pronounced on Monday.

मिराज ग्रुप के खिलाफ 163 करोड़ की जीएसटी चोरी का एक और मामला लंबित

केन्द्रीय सेवा कर विभाग द्वारा 10 मार्च 2021 को जोधपुर की आर्थिक अपराध शाखा मे मिराज ग्रुप के खिलाफ 163 करोड़ की जीएसटी चोरी का एक और मामला दर्ज करवाया गया था जिस पर वर्तमान मे सुनवाई चल रही है|इस मामले मे भी मिराज ग्रुप के फ़ाउन्डर मदन पालीवाल और ग्रुप के सीएमडी प्रकाश चंद पुरोहित आरोपी है|इस प्रकार मिराज ग्रुप पर दोनों मामले मिलकर 1032 करोड़ की कर चोरी के मामले चल रहे है|

शिकायतकर्ता का दावा!!दोनों कर्ता-धर्ताओ को गिरफ्तारी से बचाने के लिए 100 करोड़ की रिश्वत दी जा रही एक राजनेता द्वारा इस मामले मे!!!

इस मामले मे शिकायतकर्ता वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एसके सिंह द्वारा इन दोनों मामलों के कर्ताधर्ता मिराज ग्रुप के फ़ाउन्डर मदन पालीवाल और ग्रुप के सीएमडी प्रकाश चंद पुरोहित को शीघ्र गिरफ्तार करने के लिए जीएसटी कमिश्नर को पत्र लिखा गया है|उनके अनुसार इस पूरे मामले मे इन दोनों मास्टरमाइण्ड्स को गिरफ्तारी से बचाने के लिए 100 करोड़ की रिश्वत का ऑफर इलाके के एक राजनेता द्वारा दी जा रही है|

और कितने सफेदपोश शामिल है इस सिंडीकेट मे?गत वर्ष मिराज ग्रुप के गुटखा डिस्ट्रीब्यूटर पर DGGI छापा प्रकरण! अजमेर के KT इंटरप्राइजेज पर कार्रवाई

गत वर्ष मिराज ग्रुप के अजमेर के गुटखा डिस्ट्रीब्यूटर केटी इंटरप्राइजेज के संस्थानों पर जीएसटी इंटेलिजेंस की टीम ने बड़ी कार्यवाही अंजाम दी|लगभग तीन अलग-अलग स्थानों पर हुई एक साथ कार्यवाही में जीएसटी के पिछले 6 महीने के हिसाब का गहराई से लेखा जोखा जांचा गया|इस दौरान करोड़ों रुपए के जीएसटी गड़बड़ का खुलासा किया गया|केटी इंटरप्राइजेज मिराज ग्रुप का बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में माना जाता है|

Finally GST intelligence acts, raids Miraj gutka Ajmer distributor!

Kaushal Jain

Ajmer. In one of the biggest actions by the DGGI, state's one of the biggest distributor for Gutka and Miraj products - KT Enterprises in Ajmer - was raided in the wee hours of Thursday. **The raid on the Miraj gutkha distributor by DGGI began at 4 am on Thursday morning under the supervision of ADG, GST Rajendra Kumar, involving a large number of officials that arrived at the establishment's offices in more than three dozen vehicles.**

Over the past six months, the GST intelligence had been keeping a close watch on the big distributors of Miraj gutka and other brands, for which the DGGI had received intel that Miraj Gutka was being clandestinely sold at 5 to 20 times its actual price especially during the lockdown despite ban by the state government.

Thus, after six month long study period when the DGGI officials learnt the manner in which the establishment operated as also about its revenue stream, a plan to raid the establishments was formulated. At 4 am, the officials barged into the establishments, thus not giving anyone a chance to flee.

Sources reveal that the officials have uncovered GST theft worth crores of rupees while recovering a hundred bill and receipts book along with 20 ledger account books. Plastic bags containing paper slips have also been found that denote large scale unaccounted gutka business. **Sources further reveal that prima facie the sales figure recovered from unaccounted bills point at exceeding the actual purchase by KT enterprises of Miraj Gutka and others brands and a detailed study of the books and chits will put light on the actual range of GST theft.**

Prior to Ajmer raid, GST intelligence had raided almost three dozen locations or establishments of Miraj group including Nathdwara, Udaipur and Ahmedabad and it was a huge success. Apart from a few crores undisclosed income, 152 land registries were also recovered from Miraj premises and now this matter is likely to be taken up by the investigation wing of Income Tax department to examine the 'benami angle' in these land deals. **According to sources, inspired with the success of Ajmer raid, a few more major raids are likely to take place on various Mirage and other Gutka distributors in coming days.**

Under supervision of ADG, GST Rajendra Kumar, DGGI began the raid at 4 am on Thursday morning.

Sunil Kumar Singh
@SunilKu63236960
I would congratulate ADG (Intelligence) GST Mr Rajendra Kumar and his team to successfully carry and execute a much awaited raid on an alleged multi crore tax evasion of Miraj Group's Ajmer Gutka distributor M/s Kalumal Thawardas

काला धंधा गौरे लोग,काली कमाई से करते है समाज सेवा और धार्मिक काम

इस प्रकरण से अंदाजा लगाया जा सकता है कि गुटखे के इस काले कारोबार मे कितने और सफेदपोश शामिल है|आमतौर पर यह सफेदपोश अपने काले कारनामो को छुपाने के लिए समाज सेवा और धार्मिक कार्यों का दिखावा करते नजर आ जाते है|यदि कोई व्यापारी 1000 करोड़ चोरी कर 5 करोड़ समाज सेवा और धार्मिक कार्यो मे खर्च भी कर देता है तो समाज इस बात को नहीं समझता कि जो 5 करोड़ दिखावे के खर्च किए जा रहे है यह उनके ही पैसो मे से एक है जो उनके विकास कार्यों पर सरकार द्वारा खर्च किए जाने थे|टेक्स की चोरी आर्थिक अपराधो की श्रेणी मे आता है|जिससे देश की अर्थव्यवस्था ही नहीं अपितु देश का प्रत्येक नागरिक प्रभावित होता है|

व्हिसिल ब्लोवर और वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एसके सिंह ने मिराज के सामाजिक सरोकारों और धार्मिक उदारता पर उठाए सवाल|

इस पूरे मामले पर नजर रख रहे और इस बड़ी चोरी को उजागर करने वाले व्हिसिल ब्लोवर और वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एसके सिंह ने मिराज के सामाजिक सरोकारों और धार्मिक उदारता पर सवाल खड़े कर दिये है|फ़र्स्ट इंडिया को दिये एक इंटरव्यू मे उन्होने मिराज ग्रुप द्वारा बनाई गयी शिव प्रतिमा और 25 बीघा जमीन पर बने थीम पार्क पर खर्च किए गए 300 करोड़ से अधिक के निवेश को काले धन का होना बताया|उन्होने जांच

मिराज ग्रुप लगाएगा भगवान शिव की सबसे ऊंची प्रतिमा, बनवाएगा गार्डन, 2 सौ करोड़ रुपये का आएगा खर्च

3 वर्ष पहले

- कंपनी का दावा एशिया की सबसे ऊंची प्रतिमा होगी
- लीज पर मिली पहाड़ की जमीन को सरकार से खरीदेगी

जयपुर. लीज पर मिली पहाड़ की 25 बीघा जमीन पर मिराज ग्रुप ने भगवान शिव की प्रतिमा लगाने की बात कही है। कंपनी का दावा है कि यह एशिया की सबसे ऊंची प्रतिमा होगी।

मिराज ग्रुप को पिछली कांग्रेस सरकार ने 30 साल की लीज पर पहाड़ की 25 बीघा जमीन दी थी। लेकिन, अब कंपनी को पुरानी शर्तें बदल कर पहाड़ की जमीन खरीदने की अनुमति कैबिनेट ने दे दी है। कांग्रेस के समय के एमओयू को उलट कर कंपनी ने भाजपा सरकार में पहाड़ की जमीन खरीदने का प्रस्ताव रखा था।

मिराज कंपनी ने वर्तमान सरकार के सामने प्रस्ताव रखा है कि इस जमीन पर 200 करोड़ रुपए खर्च कर एशिया की सबसे बड़ी शिव भगवान की मूर्ति लगाई जा रही है और एम्यूजमेंट पार्क विकसित किया जा रहा है। ऐसे में 30 साल बाद यदि जमीन को फिर नगर पालिका अधिग्रहित कर लेगी, तो कंपनी को 200 करोड़ रुपए के बदले में कुछ नहीं मिलेगा।

कंपनी ने मांग करते हुए कहा है कि सरकार कंपनी को पूरी जमीन बेच दे, कंपनी उसे खरीद लेंगी।

इस संबंध स्वायत्त शासन विभाग ने कंपनी के प्रस्ताव पर विधिक परीक्षण के बाद सैद्धांतिक सहमति दी थी। इसके बाद फाइल एप्रूवल के लिए कैबिनेट के लिए भेज दी।

मिराज जैसी बड़ी कंपनी को लेकर जमीन का प्रकरण सरकार के हाईकमान के स्तर से तय हुआ।

एजेंसियों से इस थीम पार्क पर और ग्रुप द्वारा नाथद्वारा,उदयपुर मे किए गए विकास/सामाजिक कार्यों की ऑडिट कर,निवेश के मुख्य स्त्रोतो की जांच करवाने की मांग दोहराई|उन्होने कहा जीएसटी की चोरी कर ग्रुप करोड़ो रुपए काले धन के रूप मे जमा कर रहा है,जिस पर केवल और केवल जनता का हक है|ग्रुप जनता के पैसो से तमाशा कर वाहवाही लूट रहा है|

जवाब मांगते सवाल?

1. आखिर मिराज ग्रुप द्वारा कितने समय से जीएसटी की चोरी की जा रही है?क्या आसूचना विभाग इस पूरे मामले की शुरू से जांच कर रहा है?
2. मिराज ग्रुप द्वारा जिस माल को जीएसटी चोरी कर,दो नंबर मे बनाया जा रहा था क्या उस माल को 2 नंबर मे नहीं बेचा जा रहा होगा?
3. कंपनी के कौन कौन,कहाँ-कहाँ,कितने डिस्ट्रीब्यूटर है?
4. मैसर्स मोंटेज पैकेजिंग सेल्स प्रा.लि के डायरेक्टर श्री धनंजय सिंह द्वारा कितनी फर्जी कंपनियाँ खोलकर जीएसटी की चोरी की जा रही है?
5. आखिर अब तक इस मामले के कर्ताधर्ता मिराज ग्रुप के फ़ाउन्डर मदन पालीवाल और ग्रुप के सीएमडी प्रकाश चंद पुरोहित विभाग के समक्ष हाजिर क्यूँ नहीं हुए है?

6. इन दोनों को गिरफ्तारी से बचाने के लिए के लिए प्रयास करने वाला रसुखदार राजनेता कौन है?
7. क्या यह बात सही है कि इन दोनों को गिरफ्तारी से बचाने के लिए के लिए 100 करोड़ की डील की जा रही है?
8. मिराज ग्रुप द्वारा अब तक कितनी बेनामी संपत्तियों और निवेशों मे इस काले धन को खपाया गया है?
9. आखिर क्यूँ प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई इस मामले मे मूक दर्शक बनी हुई है?
10. मिराज ग्रुप द्वारा अब तक सामाजिक और धार्मिक कार्यों पर कितना धन खर्च किया गया है?
11. सरकार द्वारा ग्रुप द्वारा करवाए गए/करवाए जा रहे विभिन्न विकास कार्यों के लिए कितनी जमीन,संसाधन और रियायतें दी गयी है?
12. क्या भारत सरकार सीएजी की विशेष जांच कमिटी द्वारा ग्रुप द्वारा विभिन्न शहरो मे करवाए गए/करवाए जा रहे विभिन्न विकास/सामाजिक/धार्मिक कार्यों की ऑडिट करवाएगी?